उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण

(यूपीडा)

बोर्ड की 52वीं बैठक की कार्यवृत्त।

दिनांक 13.12.2019

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण
सी–13, पर्यटन भवन, द्वितीय तल, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010
0522 2307592, 2307542 4004523 फैक्स: 0522 4013560

Scanned by CamScanner

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 13.12.2019 को सम्पन्न हुई 52वीं बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित प्रतिभागियों ने भाग लिया :–

1	श्री अवनीश कुमार अवस्थी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा	अध्यक्ष
2	श्री श्रीश चन्द्र वर्मा, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा	–सदस्य / सचिव
3	श्री इन्द्रजीत विश्वकर्मा, अपर निदेशक कोषागार, वित्त विभाग उ0प्र0 शासन (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग)	–सदस्य
4	श्री अनिल कुमार, उप सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास उ0प्र0 शासन (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास)	सदस्य
5	श्री राज कुमार, अधिशासी अभियन्ता, आवास बन्धु (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन)	सदस्य
6	श्री अभय कुमार, संयुक्त सचिव, लोक निर्माण, उ0प्र0 शासन (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण)	–सदस्य
7	श्री एन0 के0 आदर्श, अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 औद्योगिक विकास निगम, लि0 कानपुर। (प्रतिनिधि प्रबन्ध निदेशक)	सदस्य
8	श्री जी राज, अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन, लोक निर्माण, उ0प्र0 शासन (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण)	–सदस्य

विशेष आमंत्री:–

1. श्री विश्वजीत राय, उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं वित्त नियंत्रक, यूपीडा।
2. श्री मनोज कुमार गुप्ता, मुख्य अभियन्ता, यूपीडा।
3. डा0 अरविन्द भारती, रक्षा विशेषज्ञ (डिफेन्स कॉरिडोर) यूपीडा।
4. श्री विश्व दीपक, मुख्य महाप्रबन्धक (सिविल), यूपीडा।
5. श्री अनिल कुमार पाण्डेय, मुख्य महाप्रबन्धक (सिविल), यूपीडा।
6. श्री जे0पी0 सिंह, सलाहकार (भू–अर्जन), यूपीडा।
7. श्री रवीन्द्र गोडबोले, नोडल अधिकारी (आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे), यूपीडा।
8. श्री चुनकू राम पटेल, विशेष कार्याधिकारी (भू–अर्जन), यूपीडा।
9. श्री के0के0 सिंह बिसेन, विशेष कार्याधिकारी, यूपीडा।
10. श्री डी0पी0 सिंह, विशेष कार्याधिकारी, यूपीडा।
11. श्री के0के0 गुप्ता, वरिष्ठ सलाहकार (वित्तीय संस्थाए), यूपीडा।
12. श्री अनूप श्रीवास्तव, वरिष्ठ सलाहकार (प्रोक्योरमेन्ट सेल), यूपीडा।
13. श्री किशोर पाण्डेय, सलाहकार (प्रोक्योरमेन्ट सेल), यूपीडा।
14. श्री एन0एन0 श्रीवास्तव, महाप्रबन्धक (सिविल), यूपीडा।
15. श्री दुर्गेश उपाध्याय, मीडिया सलाहकार, यूपीडा।
16. कर्नल के0एस0 त्यागी, वरिष्ठ परामर्शी डिफेन्स कॉरिडोर, यूपीडा।
17. श्री राम अवतार सिंह, वरिष्ठ प्रबन्धक (वन), यूपीडा।
18. डा0 अखलाख हुसैन, प्रबन्धक (पर्यावरण), यूपीडा।
19. श्री आनन्द मोहन उपाध्याय, डिप्टी कलेक्टर, यूपीडा
20. श्री शरद तिवारी, विधि सलाहकार, यूपीडा।

Scanned by CamScanner

उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निदेशक मण्डल के सदस्यों का 52वीं निदेशक मण्डल की बैठक में स्वागत किया गया एवं सदस्यों की अनुमति से एजेण्डा नोट पर बिन्दुवार चर्चा प्रारम्भ की गई:–

एजेण्डा बिन्दु–01:– उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 28.11.2019 सम्पन्न हुई 51वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि हेतु उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निदेशक मण्डल से अनुरोध किया गया:–

कार्यवाही/निर्णय:– निदेशक मण्डल द्वारा 51वीं बैठक के कार्यवृत्त से अवगत होते हुए कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

एजेण्डा बिन्दु–02:– उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 28.11.2019 को सम्पन्न 51वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या से उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा बिन्दुवार निदेशक मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया गया:–

उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निदेशक मण्डल की 51वी बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या से अवगत कराया गया कि अधिष्ठान एवं प्रशासन से सम्बन्धित प्रस्ताव पर निदेशक मण्डल द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है. बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के तकनीकी स्टाफ के पदो के सम्बन्ध में एजेण्डा बिन्दु–09 पर संविदा के आधार पर 26 तकनीकी पदों पर पुनः किये जा रहे विज्ञापन के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया है, कि AMIE द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जो सिविल इन्जीनियरिंग में स्नातक उपाधि के समकक्ष माना जाता है, में श्रेणी अंकित नहीं होती है। अतः ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने स्नातक उपाधि हेतु AMIE द्वारा निर्गत पत्र आवेदन के साथ संलग्न किया था, उनकी अर्हता हेतु AMIE की परीक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने की बाध्यता रखी गई जिसके फलस्वरूप वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल) पद के कई अभ्यर्थी जिनके AMIE की परीक्षा में अंक 60 प्रतिशत से कम थे को पात्रता सूची में नही रखा गया। चूंकि 02 बार विज्ञप्तियों के प्रकाशन के उपरान्त भी यूपीडा में रिक्त पदों पर अभ्यर्थी नहीं मिल पा रहे है अतः प्रस्तावित है कि उक्त पदों के सापेक्ष वांछित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने की बाध्यता को शिथिल कर दिया जाय। उक्त के कम में बोर्ड द्वारा आवेदकों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता में प्रथम श्रेणी की बाध्यता को शिथिल करने की अनुमति देते हुए अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने की बाध्यता सम्मिलित करने का निर्देश दिया गया।

मुख्य अभियन्ता ने बोर्ड को अवगत कराया कि गंगा एक्सप्रेसवे के सर्वे का कार्य 01 दिसम्बर 2019 से पी0डी0सी0 द्वारा प्रारम्भ कर दिया गया है। संरेखण के समीप 03 पक्षी विहार क्रमशः नवाबगंज, पक्षी विहार जनपद उन्नाव, सांडी पक्षी विहार जनपद हरदोई एवं समसपुर पक्षी विहार जनपद रायबरेली में स्थित हैं। पक्षी विहार की सीमा से संबंधित नये गजट नोटीफिकेशन वन विभाग से प्राप्त किए गये हैं। विवरण निम्नवत् हैं:–

1. गजट नोटीफिकेशन संख्या S.O. 3155(E) दिनांक 29.08.2019 द्वारा नवाबगंज, पक्षी विहार जनपद उन्नाव की Eco Sensitive Zone 100 मी0 निर्धारित की गयी है।

Scanned by CamScanner

2. गजट नोटीफिकेशन संख्या S.O. 2776(E) दिनांक 30.07.2019 द्वारा सांडी पक्षी विहार जनपद हरदोई की Eco Sensitive Zone 01 किमी0 निर्धारित की गयी है।

3. गजट नोटीफिकेशन संख्या S.O. 3529(E) दिनांक 26.09.2019 द्वारा समसपुर पक्षी विहार जनपद रायबरेली की Eco Sensitive Zone 01 किमी0 निर्धारित की गयी है।

अतः उक्त गजट नोटीफिकेशन के आलोक मे संरक्षण को पी0डी0सी0 द्वारा संशोधित किया जा रहा है।

गंगा परियोजना के निर्माण पर की गई चर्चा मे राज्य सरकार से धराशि मॉग की जानी है, एवं एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य हेतु धनराशि बैंकों से ऋण के रूप मे प्राप्त की जानी है।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं अध्यक्ष निदेशक मण्डल द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया कि डिफेन्स एक्सपो 2020 के दौरान एम0ओ0यू0 साइन करने के सम्बन्ध में एक कार्यशाला मा0 मन्त्री औद्योगिक विकास की उपस्थिति में आयोजित की जा रही है, जिसमे लघु एवं मध्यम उद्योग के प्रतिनिधियों व शासन के अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा।

कार्यवाही/निर्णयः— निदेशक मण्डल द्वारा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 28.11.2019 को सम्पन्न हुई 51वी बोर्ड बैठक में लिए गये निर्णयों के सम्बन्ध में प्रस्तुत अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया, अनुपालन से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा संतुष्टि व्यक्त की गई।

एजेण्डा बिन्दु—03:— <u>आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के पैकेज-5के कॉन्ट्रैक्टर (लारसन एण्ड टूब्रो) के विवादित भुगतान दावों के परीक्षण एवं निर्णय हेतु Arbitration Panel में यूपीडा की ओर से नियुक्त किये जाने वाले Arbitrator के चयन हेतु यूपीडा द्वारा प्रस्तावित 04 Arbitrators का बोर्ड द्वारा अनुमोदन।</u>

कार्यवाही/निर्णय निदेशक मण्डल द्वारा चर्चा उपरान्त प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु—04:— <u>आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के पैकेज-2,3, 4 एवं 5के कॉन्ट्रैक्टरों द्वारा विवादित भुगतान के दावों के सम्बन्ध में तकनीकीएवं विधिक परामर्श प्राप्त करने हेतु यूपीडा द्वारा Techno-Legal Expert के रूप में सम्बद्ध श्री जयदीप नारायन माथुर, सीनियर एडवोकेट, चैम्बर्स ऑफ आकाश प्रसाद कायूपीडा बोई द्वारा अनुमोदन।</u>

कार्यवाही/निर्णय निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि कार्य के महत्व को देखते हुये बहुत ही वरिष्ठ एवं अनुभवी सीनियर एडवोकेट की सेवायें ली जानी है। प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त निदेशक मण्डल का अनुमोदन प्राप्त हुआ।

एजेण्डा बिन्दु—05:— <u>आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के पैकेज-2,3, 4 एवं 5के कॉन्ट्रैक्टरों द्वारा विवादित भुगतान के दावों के सम्बन्ध में तकनीकी परीक्षण एवं दावों के सम्बन्ध में यूपीडा को तकनीकी परामर्श देनेतथाArbitrationStage में यूपीडा के अधिवक्ता को तकनीकी परामर्श देने हेतु Technical Expert के रूप में श्री अरुण कुमार सिन्हा, मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग उ०प्र० (सेवानिवृत्त) को सम्बद्ध करने हेतु यूपीडा बोई द्वारा अनुमोदन।</u>

Scanned by CamScanner

कार्यवाही/निर्णय

मुख्य महाप्रबन्धक (सिविल) श्री अनिल कुमार पाण्डेय द्वारा निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि श्री अरूण कुमार सिन्हा सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता एक अनुभवी वरिष्ठ अधिकारी है एवं इनकी सेवाओ से यूपीडा को, प्रकरणों के निस्तारण में सहायता मिलेगी। निदेशक मण्डल द्वारा चर्चा उपरान्त प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–06:– **गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के आर0ओ0डब्लू0 सुरक्षा एवं संरेखण निर्धारण हेतु बाउण्ड्री पिलर की लागत के अनुमोदन के संबंध में :–**

कार्यवाही/निर्णय

मुख्य अभियन्ता यूपीडा द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित लागत पूर्व लागत से 10 प्रतिशत कम ही है, अतः आने वाली लागत का अनुमोदन प्रस्तावित है, निदेशक मण्डल द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–07:– **अधिष्ठान एवं प्रशासन से सम्बन्धित कार्यो का अनुमोदनः–**

कार्यवाही/निर्णय

निदेशक मण्डल के सदस्यों को यूपीडा में तैनात विभिन्न श्रेणी के अधिकारी एवं कर्मचारी के सेवा विस्तार प्रस्ताव से अवगत कराया गया। मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने सदस्यों को यह भी अवगत कराया कि वर्तमान में यूपीडा द्वारा संचालित विभिन्न परियोजनाओं में नियोजित अधिकारी एवं कर्मचारी पर व्यय पृथक–पृथक बुक किये जा रहे है। यूपीडा की विभिन्न एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के सम्बन्ध में मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आहूत बैठक दिनांक 21.05.2019 में निर्णय लिया गया था कि "यूपीडा में आवश्यक अभियन्ताओं एवं अन्य स्टाफ की तैनाती संविदा/आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर लिया जाए।" साथ ही गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे एवं बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे से सम्बन्धित शासनादेशों में सेवानिवृत्त अभियन्ताओं को संविदा/आउटसोर्सिंग के माध्यम से लिये जाने के स्वीकृति प्राप्त हुई है।

वित्त नियंत्रक द्वारा निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया है, कि वर्तमान में इस वर्ष परियोजनाओं पर हुये व्यय के सापेक्ष लगभग 0.5 प्रतिशत धनराशि ही प्रशासनिक व्यय के रूप में व्यय हुई है, जिससे स्पष्ट है, कि यूपीडा द्वारा मितव्ययिता के साथ बहुत कम मानव संसाधन पर व्यय करते हुये परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है, जो वित्तीय दृष्टिकोण से प्रसंशनीय है। प्रस्ताव पर चर्चा करते हुये निदेशक मण्डल द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–08:– **दिनांक 05 दिसम्बर, 2019 को जारी अधिसूचना जो, उत्तर पदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति (प्रथम संशोधन), 2019 के यूपीडा में अग्रेतर कार्यवाही हेतु अंगिकृत किये जाने के सम्बन्ध में।**

कार्यवाही/निर्णय

निदेशक मण्डल द्वारा प्रदेश सरकार द्वारा जारी उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति (प्रथम संशोधन), 2019 की अधिसूचना को यूपीडा में अंगीकृत कर लिया गया है एवं नियमावली में किये गये संशोधनों को समाहित करते हुये एक वर्किंग बुकलेट बनाये जाने के प्रस्ताव पर निदेशक मण्डल द्वारा सहमति प्रदान की गई जिसमें विलुप्त एवं परिवर्तित किये गये अंश को अंत में उल्लेखित करने के साथ बुकलेट का ड्राफ्ट मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं अध्यक्ष निदेशक मण्डल को शीघ्र अवलोकनार्थ प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

Scanned by CamScanner

एजेण्डा बिन्दु–09:– उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति (प्रथम संशोधन), 2019 की अधिसूचना के साथ शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश पर आवश्यक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में विचारार्थ प्रस्ताव।

उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति (प्रथम संशोधन), 2019 की अधिसूचना के साथ जारी किये गये निम्नलिखित बिन्दुओं पर चर्चा की गई–

1 उन स्थानों पर जहां एयरपोर्ट/एयरस्ट्रिप स्थित है, के रेगुलेटेड क्षेत्र/समीपवर्ती क्षेत्र (जिसे भारत सरकार के राज्य पत्र दिनांक 30 सितम्बर, 2015 को अधिसूचित general statutory rules 751 E में परिभाषित किया गया है) में निर्माण अथवा विकास कार्य नियामक संस्थाओं से अनापत्ति प्राप्त करने के पश्चात् किया जायेगा।

2 नीति में एकर इकाईयों के कुछ उत्पाद एम0एस0एम0ई0 के लिये आरक्षित किये जाने के संबंध में भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाये।

3 जनपद स्तर पर भी नोडल अधिकारी नामित किया जाये।

4 औद्योगिक विकास विभाग के शासनादेश सं0 141/77–6–13–15(एम)/05 दिनांक 04.06.2013 की भांति संबंधित प्रकरणों में बैंक गारण्टी प्रस्तुत किये जाने अथवा स्टाम्प शुल्क छूट के समतुल्य मूल की भूमि के राज्य सरकार के पक्ष में शासकीय हितों की दृष्टिगत बंधक किये जाने की व्यवस्था किये जाने के संबंध में कार्यवाही सुनिश्चित करे तथा बाद में औद्योगिक विकास विभाग द्वारा इस तथ्य की पुष्टि किये जाने के उपरान्त कि पक्षकार द्वारा संबंधित नीति की शर्तों का सम्यक अनुपालन किया गया है, सरकार के पक्ष में बंधक रखी गयी भूमि को बंधक मुक्त कर दिया जायेगा।

5 विद्युत भार पर आवेदन किये जाने हेतु आवश्यक विद्युतीय तंत्र सुदृढ़ीकरण एवं संयोजन निर्गत किये जाने हेतु प्राक्कलित धनराशि जमा करने पर पूर्ण जमा योजना में संयोजन निर्गत कर अनवरत विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था की जायेगी।

6 नोडल संस्था द्वारा पर्यावरण संबंधी निम्न् नियमों एवं शर्तों का अनुपालन कराया जायेगा

1) प्रश्नगत परियोजना में अवस्थित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार से पूर्वानुमति की अवाश्यकता होगी।

2) यदि यह भूमि वन्य जीव विहार/राष्ट्रीय पार्क में अवस्थित पायी जाती है तो राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड, नई दिल्ली के साथ–साथ मा0 सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति प्राप्त करनी होगी।

3) इसके अतिरिक्त यदि प्रश्नगत क्षेत्र वन्य जीव विहार/राष्ट्रीय पार्क की सीमा से 10 किमी0 के अन्तर्गत अवस्थित है, तब राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड, नई दिल्ली से भी अनुमति की आवश्यकता होगी।

4) गैर वन भूमि/कृषि भूमि पर अवस्थित वृक्षों के पातन हेतु वृक्ष (संरक्षण) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत प्रभागीय वनाधिकारी से पातन की अनुमति प्राप्त करनी होगी।

5) प्रश्नगत प्रायोजना की स्थापना के पूर्व पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत पर्यावरण संघात अधिसूचना 2006 यथा संशोधित के प्राविधानों के अनुसार सक्षम स्तर से नियमानुसार पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

6) प्रश्नगत प्रायोजना की स्थापना के पूर्व जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के सुसंगत प्राविधानो के अनुसार नियमानुसार स्थापनार्थ सहमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

Scanned by CamScanner

7) प्रश्नगत प्रायोजना के संचालन के पूर्व जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के सुसगत प्राविधानों के अनुसार नियमानुसार स्थापनार्थ सहमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

8) प्रश्नगत प्रायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं के सुचारू सचालन का ऑनलाइन अनुश्रवण उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय पर स्थापित कट्रोल रूप के माध्यम से किये जाने के दृष्टिगत उक्त दोनों इकाईयो में उचित स्थानों पर पी0टी0जेड0 रोटेटिंग कैमरा ओपेन एक्सेस व्यवस्था के अनुसार स्थापित कराया जाये।

9) प्रश्नगत प्रायोजना के अन्तर्गत जनित होने वाले अपशिष्टों का पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत सुसंगत अपशिष्ट प्रबन्ध नियमों के प्राविधानों के अनुसार पृथक्कीकरण, एकत्रण एवं प्रबन्धन सुनिश्चित किया जायेगा।

10) प्रश्नगत प्रायोजना के अन्तर्गत समुचित पर्यावरण प्रबन्धन सुनिश्चित किया जायेगा।

7 श्रमिक हितों एवं श्रम कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8 विकास क्षेत्रों, विशेष विकास क्षेत्रों तथा विनियमित क्षेत्रों के अन्तर्गत निजी औद्योगिक पार्कों के प्रस्ताव प्राप्त होने की दशा में इन अधिसूचित क्षेत्रों में प्रभावी महायोजना/नियमों के प्राविधानों का अनुपालन किया जायेगा।

9 इकाईयो हेतु अधिकतम भू–आच्छादन तथा भवन निर्माण एवं विकास विधि के अनुरूप होने का उल्लेख यूपीडा द्वारा अपनी नियमावली तैयार करते समय प्राविधान कर लिया जायेगा।

10 जन सामान्य को प्रस्तावित फायरिंग रेंज में कोई असुविधा न हो एवं नगर निकायों की मूलभूत जनसुविधाओं यथा सड़क, परिवहन इत्यादि पर पडने वाले प्रभाव का वहन सबंधित इकाई द्वारा किया जायेगा।

कार्यवाही/निर्णय — निदेशक मण्डल द्वारा उपरोक्त बिन्दुओं पर अग्रिम कार्यवाही की स्वीकृति/अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–10: **उत्तर प्रदेश डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर के अन्तर्गत औद्योगिक भूमि आवंटन की प्रस्तावित गाइडलाईन/प्रकिया का अनुमोदनः–**

कार्यवाही/निर्णय — मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं अध्यक्ष निदेशक मण्डल द्वारा निर्णय दिया गया कि तैयार की गई गाइडलाईन की सभी निवेशकों को एवं प्रचार माध्यम से यूपीडा की वेबसाइट पर इस अनुरोध के साथ अपलोड का दिया जाये, कि प्रस्तावित नियमावली को अन्तिमरूप देने से पहले सुझाव आमंत्रित किये जा रहे है। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय ने यह मत व्यक्त किया कि कार्य में पारदर्शिता बनाये रखने के लिये सभी के माध्यम से सुझाव प्राप्त कर उन पर गुणदोष के आधार पर चर्चा करते हुये नियमावली को अन्तिम रूप दिया जाये। इस सुझाव का निदेशक मण्डल ने अनुमोदन प्रदान किया गया।

Scanned by CamScanner

एजेण्डा बिन्दु–11:– बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के आर0ओ0डब्ल्यू0 सुरक्षा एवं संरेखण निर्धारण हेतु बाउण्ड्री पिलर के कार्य की अद्यतन प्रगतिः–

कार्यवाही/निर्णय मुख्य अभियन्ता, यूपीडा द्वारा निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के आर0ओ0डब्ल्यू0 सुरक्षा एवं संरेखण निर्धारण हेतु बाउण्ड्री पिलर लगाये जाने का कार्य बहुत ही कठिन है एवं वर्तमान में प्राप्त दरें 5 प्रतिशत अधिक है। किन्तु कार्य की गुणवत्ता बनाये रखने के लिये दरों को उचित मानतु हुये प्रथम न्यूनतम निविदा दर पर निगोसिएटेड दरें प्राप्त कर कार्य कराया जाना है। प्रस्ताव पर चर्चा करते हुये निदेशक मण्डल द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

अंत में उप मुख्य कर्यपालक अधिकारी द्वारा माननीय अध्यक्ष एवं बोर्ड के सदस्यों को बैठक में प्रतिभाग हेतु धन्यवाद ज्ञापित के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 13.12.2019 को सम्पन्न हुई 52वीं बैठक के उपरोक्त कार्यवृत्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं अध्यक्ष निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 13.12.2019 को अनुमोदित किये गये हैं।

(श्रीश चन्द्र वर्मा)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

Scanned by CamScanner